

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 696 / 2015..... जिला : अजमेर
 मैसर्स- बालाजी माईनिंग वर्क्स, ब्यावर बनाम सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ब्यावर व अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2015	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी, वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.05.2015, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किया गया है, के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। उक्त आदेश में अपीलीय अधिकारी द्वारा सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वृत्त-ब्यावर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा गया है) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 24.02.2014, जो अधिनियम की धारा 23 के तहत पारित किया गया है, में सृजित मांग राशि रु. 4,73,132/- में से 3,47,842/- के संबंध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष रोक (स्थगन) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर स्थगन आवेदन पत्र को अस्वीकार किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी के आदेशान्तर्गत वसूली योग्य राशि रु 3,47,842/- को स्थगित करने का निवेदन किया।</p> <p>उभय पक्षीय की बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों से ज्ञात होता है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया आई टी सी का राजविस्टा से सत्यापन नहीं कराये जाने का विवाद निहित है। अतः यह पीठ अनुभव करती है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा स्थगन हेतु प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र में स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 3,47,842/- को स्थगित नहीं करने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई कारण अपीलाधीन आदेश दिनांक 11.05.2015 में अंकित नहीं किया है। लिहाजा, अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलाधीन आदेश के अन्तर्गत वसूली योग्य राशि रु. 3,47,842/- के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप समुचित जमानत (Adequate Security) प्रस्तुत करने की शर्त पर वसूली की कार्यवाही को तीन माह तक स्थगित रखा जाता है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावेगा, साथ ही अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।</p> <p style="text-align: center;">निर्णय सुनाया गया</p>	<p style="text-align: center;">(सुनील शर्मा) सदस्य</p>